राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्याः–1614 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 1716 / 2014
देहरादून : दिनांक 19, जुलाई, 2014

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1597/XII(1) –2014–86(08)/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 के क्रम में मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) के **जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और इस निर्वाचन हेतु यह निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगीः–

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
30.07.2014 (पूर्वाह्न 1100 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक)	30.07.2014 (अपराह्न 1600 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.08.2014 (पूर्वान्ह 1000 बजे से अपराह्न 1400 बजे तक)	05.08.2014 (पूर्वान्ह 0900 बजे से अपराह्न 1400 बजे तक)	05.08.2014 (अपराह्न 1500 बजे से मतगणना की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) उपरोक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के नियम–5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक **20.07.2014** को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन **(अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट)** द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत, कार्यालय, तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम–3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि हिन्दी में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम–12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हो। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग की अनुमति से यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

19/7/14
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

कमश....2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

संख्याः –1614/रा0नि0आ0अनु0–2/1716/2014 तद्दिनांक । (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
16. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
17. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
19. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
20. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
21. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
22. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
23. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
24. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
25. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
26. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
27. सूचना–पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

19/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।